

लिपिक का नाम :

पंचायत राज संचालनालय

शाखा का नाम : न्यायालयीन

एकल नस्ती क्र. :

विषय:- प्रकरण क्रमांक W.P.No. 1131/2016 श्री कुलदीप मिश्रा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ।

याचिकाकर्ता श्री कुलदीप मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में W.P.No. 1131/2016 बी.आर.जी.एफ योजना शासन स्तर से बंद किये जाने के फलस्वरूप सेवा समाप्त किये जाने के विरुद्ध याचिका दायर की है। (परि.-1) उक्त प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 की ओर से म.प्र.शासन का पक्ष समर्थन हेतु उप संचालक (बी.आर.जी.एफ.) पंचायत राज संचालनालय को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। (परि.-2)

अतः उक्त प्रकरण में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु आदेश जारी किये जाने हेतु एकल नस्ती प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

आयुक्त,

उप संचालक (न्याया.)

(ब्रजेश कुमार)

अपर सचिव

म.प्र.शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

एवं आयुक्त

पंचायत राज संचालनालय

प्रमुख सचिव,

म.प्र.शासन,

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

लिपिक का नाम :
पंचायत राज संचालनालय शाखा का नाम : न्यायालयीन
एकल नस्ती क्र. :

विषय:- प्रकरण क्रमांक W.P.No. 1131/2016 श्री कुलदीप मिश्रा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन
एवं अन्य ।

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR**

Process Id: 15902/2016

WP/1131/2016

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of

Judicature

at Jabalpur

ON MERIT AND INTERIM RELIEF

Fixed for 14-03-2016

WP-DA-5

Respondent No. 2

To,

The Commissioner, Panchayat Raj,
Directorate-1,
Arera Hills, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA
PRADESH) .

Jabalpur 29-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/
Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 1131/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Kuldeep Mishra** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/1131/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **14-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl. Copy of Petition +

copy of order dt. 21.1.2016

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश

1, अरेरा हिल्स तिलहन संघ परिसर, भोपाल

:: आदेश ::

क्रमांक/पं.राज. /2016/ 1602

भोपाल, दिनांक 11.02.2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उप संचालक, (बी.आर.जी.एफ.) पंचायत राज संचालनालय को प्रकरण क्रमांक W.P.No. 1131/16 श्री कुलदीप मिश्रा विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में म.प्र. राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के आदि में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका/वाद पत्र में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उसकी राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
2. समस्त ससुंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना से संपर्क करेगा।
3. वादपत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट,
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप,
(ग) उन सभी सदस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करनाप्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
(घ) मामले की विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ, इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहियें,
7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करेगा और मामले, उसके प्रकम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को एवं शासन को सदैव ही अवगत करवायेगा।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय पारित किया जाता है विभाग को तत्काल उसकी सूचना दी जावेगी विशिष्टतया शासन के विरुद्ध पारित आदेश की प्रमाणित प्राप्त उसी दिन या आगामी दिवस में प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगें।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगें,

Court-I


1168

यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने एवं राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हों।

जैसे ही अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक की अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त न कर दिया जायें।

12. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हरसंभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न रह जाए।
13. प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह, इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है, अतएव वह उस आदेश के प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

(प्रमुख सचिव, पं. ग्रा. वि. वि. द्वारा आदेशित)




(ब्रजेश कुमार)
आयुक्त

पंचायत राज संचालनालय म.प्र.
भोपाल, दिनांक 11.02.2016

पृ. क्रमांक/पं.राज./न्याया./ 2016/ 1603
प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. को उनकी प्राप्त टीप क्र. 819/पी.एस दिनांक 26.11.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. संभागीय आयुक्त रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर जिला रीवा मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा मध्यप्रदेश।
7. संयुक्त संचालक (बी.आर.जी.एफ.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. उप संचालक (बी.आर.जी.एफ.) पंचायत राज संचालनालय, प्रभारी अधिकारी (प्रकरण) की ओर अग्रेषित। शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट तथा अपनी प्रत्येक भेंट पर शासकीय अधिवक्ता से आगामी कार्यवाही हेतु सलाह करने तथा मामले में प्रगति रिपोर्ट के साथ शासन एवं पंचायत राज संचालनालय को भेजने हेतु अग्रेषित।
9. रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय जबलपुर।



आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय म.प्र.